



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901]
No. 901]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 2004/आश्विन 23, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 2004/ASVINA 23, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2004

का.आ. 1139(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार या सशक्त अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषकों के रूप में मान्यता देती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ) दिनांक 21 जुलाई, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में—

(1) क्रम संख्या 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	विश्लेषक का नाम
(1)	(2)	(3)
117.	मैसर्स मिटकॉन कन्सलटेंट्स सर्विसिज लि., बी.ए.आई.एफ. कैम्पस, राष्ट्रीय राजमार्ग-4, समीप बारजे, पुणे-411052	1. श्री जगादले सुन्दरराव चन्द्रराव 2. सुश्री स्मिता पी. महाजन 3. श्री अमरदीप राजू
118.	मैसर्स इदमा लेबोरेट्रीज लि., 391, इंडिस्ट्रियल एरिया-1, पंचकूला (हरियाणा)-134109	1. डा. पवन कुमार अग्रवाल 2. डा. रणदीप सिंह सैनी 3. श्री निरंजन देव बहल
119.	मैसर्स कोणाक रिसर्च फाउंडेशन, प्लॉट सं. 338/1, कचगाम, दमन-396210	1. डा. (श्रीमती) लैला रजवानि 2. श्री सतीश यादव 3. श्री कमलेश पटेल
120.	ई.एम.टी.आर.सी. कन्सलटेंट्स प्रा. लि., बी-16, प्लॉट 10-क, ईस्ट अर्जुन नगर, नवरचना अपार्टमेंट के सामने, दिल्ली-32	1. श्री अजेन्द्र कुमार वर्मा 2. श्री रतनेश कोटियाल 3. डा. जयन्त कुमार मोइत्रा

(1)	(2)	(3)
121.	मैगर्स पोलुकोन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., एनवायरमेंटल ऑडिटर्स, कन्सल्टेंट एंड एनालिस्ट, क्लीनर प्रॉडक्शन/वेस्ट मिनिमाइजेशन फेसिलिटेटर, 544, बेल्जियम टावर्स, रिंग रोड, लिनीयर बस स्टैंड, सुरत-395003	1. श्री मधुकर मधूसूदन गांधी 2. श्री देवांग मधुकर गांधी 3. श्री महेश कुमार नागिनभाई लैड
122.	मैगर्स छोकसी लेबोरेट्रीज लि., 6/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452001	1. श्री सुनील छोकसी 2. श्री कवीश व्यास 3. सुश्री श्वेता बख्शी

2. सारणी के क्रम संख्यांक 117 से 112 में उल्लिखित प्रयोगशालाओं की मान्यता इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। यह मान्यता केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले भी प्रतिसंग्रहीत की जा सकती है।"

[फा. सं. क्यू-15018/22/2000-सी.पी. डब्ल्यू]

रजनीश कुमार वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 728(अ) तारीख 21-7-1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

का.आ. 838(अ) तारीख 23-9-1987, का.आ. 989(अ) तारीख 17-11-1987, का.आ. 156(अ) तारीख 24-2-1989, का.आ. 489(अ) तारीख 17-5-1989, का.आ. 846(अ) तारीख 24-10-1989, का.आ. 375(अ) तारीख 26-4-1990, का.आ. 633(अ) तारीख 31-8-1994, का.आ. 54(अ) तारीख 15-1-1997, का.आ. 305(अ) तारीख 7-4-1997, का.आ. 17(अ) तारीख 9-3-1998, का.आ. 1508(अ), तारीख 27-7-1998, का.आ. 454(अ) तारीख 11-2-2000, का.आ. 683(अ) तारीख 23-3-2001, का.आ. 820(अ) तारीख 2-8-2002, का.आ. 1257(अ) तारीख 2-12-2002, का.आ. 462(अ) तारीख 23-4-2003, का.आ. 598(अ) तारीख 26-4-2004।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2004

S.O. 1139(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) of the said Table to be the Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 728(E), dated the 21st July, 1987, namely :—

In the Table appended to the said notification, after serial number 116 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of Laboratory	Name of the Analyst
(1)	(2)	(3)
117.	M/s Mitcon Consultancy Services Ltd., BAIF Campus, NH-4, Near Waraje, Pune-411052.	1. Sh. Jagdale Sundararao, Chanderarao 2. Ms. Smita P. Mahajan 3. Sh. Amardeep Raju
118.	M/s Idma Laboratories Ltd., 391, Industrial Area-I, Panchkula (Haryana)-134109.	1. Dr. Pawan Kumar Aggarwal 2. Dr. Randeep Singh Saini 3. Sh. Niranjan Dev Bahl
119.	M/s Konark Research Foundation, Plot No. 338/1, Kachgam, Daman-396210.	1. Dr. (Mrs.) Laila Rajwani 2. Shri Satish Yadav 3. Shri Kamlesh Patel
120.	EMTRC Consultants Pvt. Ltd., B-16, Plot 10-A, East Arjun Nagar, Opposite Navrachna Apartment, Delhi-32.	1. Shri Ajendra Kumar Verma 2. Shri Ratnesh Kotiyal 3. Dr. Jayanta Kumar Moitra

(1)	(2)	(3)
121.	M/s Pollucon Laboratories Pvt. Ltd., Environmental Auditors, Consultants & Analysts, Cleaner Production/Waste Minimization Facilitator, 544, Belgium Towers, Ring Road, Opp. Linear Bus Stand, Surat-395003.	1. Sh. Madhukar Madhusudan Gandhi 2. Sh. Devang Madhukar Gandhi 3. Sh. Mahesh Kumar Naginbhai Lad
122.	M/s Choksi Laboratories Ltd., 6/3, Manoramaganj, Indore-452001.	1. Sh. Sunil Choksi 2. Sh. Kavish Vyas 3. Ms. Shweta Bakshi

2. The recognition of laboratories mentioned at serial numbers 117-122 of the Table shall be valid for a period of five years from the date of publication of this notification and such recognition may be revoked earlier by the Central Government."

[F. No. Q. 15018/22/2000-CPW]

RAJNISHA KUMAR VAISH, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 728(E) dated 21st July, 1987 and subsequently amended *vide* :—

S.O. 838(E), dated 23rd September, 1987, S.O. 989 (E), dated 17th November, 1987, S.O. 156 (E), dated 24th February, 1989, S.O. 489(E), dated 17th May, 1989, S.O. 846 (E), dated 24th October, 1989, S.O. 375 (E), dated 26th April, 1990, S.O. 633(E), dated 31st August, 1994, S.O. 54(E), dated 15th January, 1997, S.O. 305(E) dated 7th April, 1997, S.O. 173 (E), dated 9th March, 1998, S.O. 1508(E), dated 27th July, 1998, S.O. 454(E), dated 11th February, 2000, S.O. 683, dated 23rd March, 2001 & S.O. 820 (E), dated 2nd August, 2002, S.O. 1257 (E), dated the 2nd December, 2002, S.O. 462 (E) dated the 23rd April, 2003, S.O. 598 (E) dated the 26th April, 2004.